छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 25/08/2026

अधिसूचना

क्रमांकः डी–30/छ.रा.वि.नि.आ./2023/1554

विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 181 की उप धारा (2)(जेडके) सहपठित धारा 91(2) एवं (3) में विहित प्रावधानों एवं पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ शासन के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छ.ग.रा.वि.नि.आ.) द्वारा ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2005'' बनाया गया। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) की अधिसूचना क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3 दिनांक 19.06.2026 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले विभिन्न तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की न्यूनतम शेक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को विनियम में सम्मिलित करने हेतु एवं छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक ESTB/6603/2025–ENERGY-1 दिनांक 20/07/2026 से आयोग कार्यालय की पद संरचना हेतु दो नवीन पदों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, उक्त स्वीकृत पदों को विनियम में सम्मिलित करने हेतु संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गई, आयोग एतद् द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**

(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) यह विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगें।

(3) इस विनियम में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस विनियम में परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2005'' में है। (आगे मूल विनियम के नाम से संदर्भित)

2. **परिशिष्ट–1 में संशोधन** – मूल विनियम के परिशिष्ट–1 को परिशिष्ट–1 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. **परिशिष्ट–3 में संशोधन** – मूल विनियम के परिशिष्ट–3 को परिशिष्ट–3 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. **परिशिष्ट–4 में संशोधन** – मूल विनियम के परिशिष्ट–4 को परिशिष्ट–4 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

आयोग के आदेशानुसार
SPShukla
(सूर्य प्रकाश शुक्ला)
सचिव

परिशिष्ट–1
(मूल विनियम के नियम 7 (2) देखियें)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण, पदों की संख्या एवं नियुक्ति का तरीका

खण्ड–"अ"

अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति का तरीका
1.	सचिव	1	वर्ग–1	लेवल–17 ₹1,41,800–₹2,14,700	प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल–17 ₹1,41,800–₹2,14,700	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.	निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल–17 ₹1,41,800–₹2,14,700	तदैव
4.	निदेशक (विधि)	1	तदैव	लेवल–17 ₹1,41,800–₹2,14,700	तदैव
5.	आर्थिक सलाहकार	1	तदैव	लेवल–15 ₹1,18,500–₹2,14,100	तदैव
6.	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल–14 ₹79,900–₹2,11,700	तदैव
7.	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल–14 ₹79,900–₹2,11,700	तदैव
8.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	तदैव	लेवल–14 ₹79,900–₹2,11,700	तदैव
9.	आर्थिक विश्लेषक	1	तदैव	लेवल–14 ₹79,900–₹2,11,700	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
10.	उप सचिव	1	तदैव	लेवल–14 ₹79,900–₹2,11,700	प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल–13 ₹67,300–₹2,13,100	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
12.	उप निदेशक (रेग्युलेटरी अफेयर्स)	1	तदैव	लेवल–13 ₹67,300–₹2,13,100	प्रतिनियुक्ति द्वारा
13.	उप निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल–13 ₹67,300–₹2,13,100	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
14.	विधि अधिकारी	1	तदैव	लेवल–13 ₹67,300–₹2,13,100	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
15.	उप निदेशक (उपभोक्ता समर्थन प्रकोष्ठ)	1	तदैव	लेवल–13 ₹67,300–₹2,13,100	प्रतिनियुक्ति द्वारा
16.	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	वर्ग–2	लेवल–12 ₹56,100–₹1,77,500	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
17.	सहायक निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल–12 ₹56,100–₹1,77,500	तदैव
18.	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	तदैव	लेवल–12 ₹56,100–₹1,77,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
19.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	तदैव	लेवल–12 ₹56,100–₹1,77,500	तदैव

20.	लेखा अधिकारी	1	तदैव	लेवल–12 ₹56,100–₹1,77,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
21.	अनुभाग अधिकारी	1	तदैव	लेवल–11 ₹49,100–₹1,55,800	तदैव
22	निज सचिव	3	तदैव	लेवल–11 ₹49,100–₹1,55,800	तदैव
23	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तदैव	लेवल–10 ₹43200–₹1,36,500	पदोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा

नोटः– आरक्षण और आयु में छूट के लिए राज्य शासन की नीति को अपनाया जाएगा।

खण्ड–"ब"

(मूल विनियम के नियम 7 (2) देखियें)

कर्मचारियों की नियुक्ति का तरीका

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्तित का तरीका
1.	निज सहायक	04	तृतीय	लेवल–9 ₹38100–₹1,20,400	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	तदैव	लेवल–9 ₹38100–₹1,20,400	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.	कार्यालय सहायक ग्रेड–1	01	तदैव	लेवल–9 ₹38100–₹1,20,400	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
4.	स्टेनोग्राफर	05	तदैव	लेवल–7 ₹28,700–₹91,300	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
5.	कम्प्यूटर सहायक	01	तदैव	लेवल–6 ₹25,300–₹80,500	प्रतिनियुक्ति द्वारा
6.	कार्यालय सहायक ग्रेड–2	04	तदैव	लेवल–6 ₹25,300–₹80,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
7.	स्टेनोटायपिस्ट	04	तदैव	लेवल–4 ₹19,500–₹62,000	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
8.	कार्यालय सहायक ग्रेड–3	05	तदैव	लेवल–4 ₹19,500–₹62,000	पदोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति एवं सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रतिशत अनुसार)
9.	वाहन चालक	04	तदैव	लेवल–4 ₹19,500–₹62,000	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
10	वाहन चालक (आउटसोर्स)	01	तदैव	आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित	बाह्य (आउटसोर्स) सेवा प्रदाता के माध्यम से
11.	भृत्य	11	चतुर्थ	लेवल–1 ₹15,600–₹49,400	तदैव
12.	माली	01	तदैव	लेवल–1 ₹15,600–₹49,400	तदैव

नोटः– आरक्षण और आयु में छूट के लिए राज्य शासन की नीति को अपनाया जाएगा।

परिशिष्ट–3

(मूल विनियम के नियम 7(5) देखिये)

खण्ड–"क"

सीधी भर्ती वाले पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव

क्र.	पदनाम	आवश्यक योग्यता एवं न्यूनतम अनुभव	अतिरिक्त योग्यता / वांछनीय अनुभव
01	आर्थिक विश्लेषक	(क) सी.ए. / आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई / सी.एम.ए या एम.बी.ए (फाइनेन्स) (ख) व्यवसायिक योग्यता की पूर्णता उपरांत कम से कम 12 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव (ग) विश्लेक्षणात्मक एवं मॉडलिंग स्किल में दक्षता तथा फायनेन्सियल स्टेटमेंट विश्लेषण में दक्षता (घ) कम्प्यूटर में एम.एस. एक्सेल शीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता।	(क) मूल्य / टैरिफ निर्धारण का ज्ञान (ख) ऊर्जा क्षेत्र के वाणिज्यिक संबंधित विषयों के विश्लेषण तथा समस्याओं के समाधान का अनुभव।
02	विधि अधिकारी	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / विधि विद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री (ख) विधि क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का लीगल प्रेक्टिस का अनुभव अथवा राज्य शासन / केन्द्र शासन / शासकीय उपक्रम या नियामक संस्था / अधिकरण में नियमित विधि अधिकारी / विधि सलाहकार के पद पर 7 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / विधि विद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री। (ख) आदेश / विनियम बनाने का पर्याप्त ज्ञान। (ग) विद्युत क्षेत्र से संबंधित विधियों का पर्याप्त ज्ञान।
03	उप निदेशक (उपभोक्ता समर्थन प्रकोष्ठ)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। (ख) उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण कां कम से कम 7वर्ष का अनुभव, विद्युत संबंधी शिकायतों के निराकरण के अनुभव को प्राथमिकता।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से अभियांत्रिकी या विधि से स्नातक उपाधि। (ख) अंग्रेजी एवं हिन्दी में दक्षता। (ग) विद्युत अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सामान्य ज्ञान।

04	सहायक निदेशक (टैरिफ)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता (ख) केन्द्र/राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता (ख) पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का अनुभव,
05	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता (ख) केन्द्र/राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इलेक्ट्रिकल अथवा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता (ख) उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का अनुभव,
06	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में स्नातक डिग्री। (ख) केन्द्र/राज्य शासन के वित्त विभाग अथवा केन्द्र/राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम अथवा किसी भी पॉवर यूटिलिटी में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। (घ) कम्प्यूटर में एम.एस. एक्सेल शीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री। (ख) कोषालय संचालन, ऑडिट, बजट, बैंकिग कार्य का अनुभव (ग) पे–रोल एकाऊटिंग एवं बहीखाता के संधारण का अनुभव। (घ) टैली (**tally**) पर कार्य करने का अनुभव
07	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम. एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी) / एम.सी.ए. या समकक्ष उपाधि। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईन्स/सूचना प्रौद्योगिकी में बी. ई./बी.टेक या समकक्ष उपाधि।	(क) बड़े संस्थान के लिए वेब–एप्लीकेशन डेवलपमेंट का अनुभव (ख) अंग्रेजी भाषा में दक्षता

8	सहायक ग्रेड–3	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (4) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।	लेखन एवं बोलचाल में दक्षता।
9	स्टेनो टायपिस्ट	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) अंग्रेजी/हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (4) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।	द्वि–भाषीय शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन में दक्षता धारित व्यक्ति को प्राथमिकता।

10	वाहन चालक	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वी) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/स्थायी वाहन चालन का लाईसेंस। (3) मोटर साइकल, हल्का मोटर यान तथा परिवहन यान चालन हेतु प्रधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्ति के उपरांत 03 वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त करना होगा। (4) अच्छी द्वि–नेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए, पलकों तथा नेत्र गोलकों से रोग से मुक्त होना चाहिए तथा रंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए।	राज्य शासन/अर्धशासकीय विभागों के स्टाफ कार चलाने का अनुभव
11	भृत्य	मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10 वीं) परीक्षा उत्तीर्ण।	राज्य शासन/अर्धशासकीय संस्थानों में संविदा/दैनिक वेतन भोगी अंतर्गत कार्यरत् भृत्य को प्राथमिकता
12	माली	मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10 वीं) परीक्षा उत्तीर्ण।	राज्य शासन/अर्धशासकीय संस्थानों में संविदा/दैनिक वेतन भोगी अंतर्गत कार्यरत् माली को प्राथमिकता

परिशिष्ट–4
(मूल विनियम के नियम 18 देखियें)

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद एवं उनका पदोन्नति का क्रम

क्र.	पदोन्नत पद	पद जिनसे पदोन्नत किया जावेगा	पात्रता
1	निदेशक (इंजीनियरिंग)	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	8 वर्ष
2	निदेशक (टैरिफ)	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	8 वर्ष
3	निदेशक (विधि)	वरिष्ठ विधि अधिकारी	8 वर्ष
4	आर्थिक सलाहकार	आर्थिक विश्लेषक	5 वर्ष
5	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	5 वर्ष
6	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	उप निदेशक (टैरिफ)	5 वर्ष
7	वरिष्ठ विधि अधिकारी	विधि अधिकारी	5 वर्ष
8	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	5 वर्ष
9	उप निदेशक (टैरिफ)	सहायक निदेशक (टैरिफ)	5 वर्ष
10	लेखा अधिकारी	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5 वर्ष
11	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5 वर्ष
12	कम्प्यूटर प्रोग्रामर		
13	निज सचिव	निज सहायक	5 वर्ष
14	निज सहायक	स्टेनोग्राफर	5 वर्ष
15	अनुभाग अधिकारी	कार्यालय सहायक श्रेणी–1	5 वर्ष
16	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	कार्यालय सहायक ग्रेड–2 (वह जिसने शासकीय लेखा प्रशिक्षण विद्यालय से लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो)	5 वर्ष
17	कार्यालय सहायक श्रेणी–1	कार्यालय सहायक श्रेणी–2	5 वर्ष
18	स्टेनोग्राफर	स्टेनोटायपिस्ट	5 वर्ष
19	कार्यालय सहायक श्रेणी–2	कार्यालय सहायक श्रेणी–3	5 वर्ष
20	कार्यालय सहायक श्रेणी–3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (जो कार्यालय सहायक श्रेणी–3 के पद हेतु राज्य शासन के नियमानुसार निर्धारित आर्हरता रखते हों)	5 वर्ष

नोटः उपरोक्त स्वीकृत पद संरचना में पदों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो पदोन्नति से वंचित है उन्हें उच्च वेतनमान अगले उच्च पद के लिए देय वेतनमान होगा, जिस पर ऐसा कर्मचारी या अधिकारी अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र है। उच्च वेतनमान की पात्रता के संबंध में विस्तृत आदेश आयोग द्वारा समय समय पर जारी किया जावेगा।